

उत्तराराज्य राजनी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन—नया रायपुर

क्रमांक एफ 6-54 / 2016 / 20-तीन

रायपुर, दिनांक १५ / ०७ / २०१६

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह बाधे,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,

प्रेषिति,

~~सचिव,~~
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2 कम्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषयः— जयभारत अंग्रेजी माध्यम बलौदा, वि.ख. बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छोगो) को सी०बी०एस०इ० पाठ्यक्रम के संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत।

—00—

महोदय,

राज्य शासन एतद् द्वारा जयभारत अंग्रेजी माध्यम बलौदा, वि.खं. बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छोगो) को शिक्षा सत्र 2017–18 से सी०बी०एस०ई० पाठ्यक्रम नई दिल्ली से संबद्धता हेतु, सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

भवदीय

गुप्ताय

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक ७ / 07 / 2016

पृष्ठमांक एफ 6-54 / 2016 / 20-तीन

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, ४०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(2) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
(3) कलेक्टर, जांजगीर-चांपा (४०ग०)।
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा (४०ग०)।
(5) प्राचार्य, जयभारत अंग्रेजी माध्यम बलौदा, वि.ख. बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (४०ग०)।
(6) गार्ड फाईल।

*
की ओर सुचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

John 4

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

order

क्रमांक / अशास संस्था / अनुमति / मान्यता / 2017-18 / 5650

जांजगीर, दिनांक 24/11/17

प्रति,

प्राचार्य/प्रधानपठक/संस्था प्रमुख

अशासकीय विद्यालय जांजगीर-चांपा माध्यम छलौदा
विकासखण्ड छलौदा

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :- बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत विद्यालय के नियम मान्यता प्रमाण पत्र।

आपका आवेदन पत्र दिनांक के संदर्भ में एतद् विषयक् विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं जांजगीर-चांपा माध्यम छलौदा (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा से तक के लिए सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर 1 व 2) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय, पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. परिच्छेद 3 में संर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता-पिता पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि-

- ❖ प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोगा नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
- ❖ किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
- ❖ किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश करेगा।
- ❖ शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सहित नियुक्त किये जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें प्राप्त करेगे।
- ❖ शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्त कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उप नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशासित होगा।

8. विद्यालय उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के गतरों और मानकों को बनाये रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधायें निम्नानुसार हैं—

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- खेल के मैदान का क्षेत्रफल
- अध्यापन कक्षाओं की संख्या
- प्रधानपाठक सह कार्यालय सहभण्डार हेतु कक्ष
- बालकों और तालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन
- बाधारहित पहुंचमार्ग
- शिक्षण अधिगम सामग्री
- खेलकुद के उपकरण
- पुस्ताकलय की संख्या

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायेगा।
12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावहारिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनीतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकत 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।
15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिये और चार्टड एकाउटेंट में प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउण्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये। एकाउण्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना होगा।
16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता नम्बर है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित करना होगा।
17. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाये।
19. अन्य शर्त एनकेसर 3 के अनुसार संलग्न हैं।

पु.क्रमोंक /अशास.संस्था/ अनुमति/ मान्यता/ 2017-18/ ५६५।

प्रतिलिपि -

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, खण्ड-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जांजगीर-चांपा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

*जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर*
8/1/ जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
जांजगीर, दिनांक 24/11/17

*जिला शिक्षा अधिकारी
जांजगीर*
8/1/ जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)